राष्ट्र के विकास में विपदा से प्रभावित लोगों को जोड़ने का प्रयास

विपदा निवारण

सलाहकार समिति

डॉ. रानेन्दु घोष, इसरो • श्री अमर ज्योति नायक, एक्शन एइड इन्डिया • श्री किरन सोनी गुप्ता, जोधपुर डिविज़नल कमिशनर • श्री दीपक भारती, एस.एस.वी.के. • डॉ. आई. अरूल अरम, अन्ना युनिवर्सिटी • डॉ. अवधेश के. सिंह, लखनऊ युनिवर्सिटी • श्री एस. के. सिंह, एन.आई.आर.डी.

सिर्फ निजी और शैक्षणिक हेतु वितरण के लिये

अंक — ६३

अप्रैल — २००८

पाठशाला आधारित विपदा जोखिम कम करने के संबंध में सीख

- पाठशाला सुरक्षा अभियान की जरूरत : पाठशाला ही क्यों ?
- राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यसूचियों में पाठशाला आधारित विपदा जोखिम कम करना
- स्थानीय क्षमताओं का निर्माण : ए.आई.डी.एम.आई. के पाठशाला सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम
- लिंगगत समानता की चेतना बचपने से ही शुरु होनी चाहिए
- वातावरण में परिवर्तन एवं पाठशाला सुरक्षा : क्या ये परस्पर संबंधित हैं ?

इस अंक में...

१. **विचार**
सुरक्षित पाठशाला : संदेश संप्रेषण का सर्वोत्तम माध्यम २

२. **विपदा एवं सुरक्षा अभियान**
पाठशाला सुरक्षा अभियान की जरूरत : पाठशाला ही क्यों? ३

३. **विपदा एवं जोखिम कम करना**
राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यसूचियों में पाठशाला आधारित विपदा जोखिम कम करना ४

४. **विपदा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम**
स्थानीय क्षमताओं का निर्माण : ए.आई.डी.एम.आई. के पाठशाला सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ५

५. **विपदा एवं चेतना**
लिंगगत समानता की चेतना बचपने से ही शुरु होनी चाहिए ७

६. **विपदा एवं सीख**
बच्चों के माध्यम से उनके परिवारों तक पहुँचना : क्षेत्र कार्य द्वारा सीख ८

७. **विपदा एवं बीमा सुरक्षा**
विद्यार्थी सुरक्षा बीमा : सफलता का एक दुखभरा उदाहरण ९

८. **विपदा एवं आधारभूत ढाँचा**
सुरक्षित पाठशाला अभियान एवं ह्योगो आधारभूत ढाँचा १०

९. **विपदा एवं सुरक्षित पाठशाला**
वातावरण में परिवर्तन एवं पाठशाला सुरक्षा : क्या ये परस्पर संबंधित हैं? ११

१०. **अंत नहीं, आरंभ**
सुरक्षित पाठशाला अभियान अंतर्गत 'पाठशाला सुरक्षा' साहित्य १२

विचार

सुरक्षित पाठशाला : संदेश संप्रेषण का सर्वोत्तम माध्यम

यह बात सोलह आने सच है कि पाठशाला के बच्चे अपने शिक्षकों को आदर्श के रूप में देखते हैं तथा उनकी बात को पूर्णतः सत्यतापूर्ण एवं प्रमाणित मानकर उस पर अमल करते हैं। वे अपने माता-पिता की बात के ऊपर अपने शिक्षक की बात को रखते हैं तथा अपने माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों से अपने शिक्षकों के गुणों, उनके द्वारा दी जानेवाली शिक्षा एवं सिखाई गई बातों को कहते-कहते थकते नहीं हैं। प्रत्येक परिवार को अपने बच्चे सबसे प्यारे होते हैं तथा उनके द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत बातों की उनके लिए अहमियत होती है। किसी और की वे सुनें या न सुनें पर अपने बच्चों की बातें सुनने एवं उन पर अमल करने के लिए वे बाध्य होते ही हैं। अपने फुर्सत के समय का अधिकाधिक भाग माता-पिता अपने बच्चों के साथ ही बिताते हैं; अतः बच्चों से बतियाने एवं उनके प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने का समय भी उनके पास पर्याप्त मात्रा में होता ही है।

भारत में आज भी शिक्षा का स्तर कहाँ तक पहुँचा है, इस तथ्य से सभी भलीभाँति परिचित हैं। अतः लिखित माध्यम से उन्हें विपदाओं के बारे में सचेत करना कितना प्रभावी हो सकता है, इसे भी सभी जानते हैं। दृश्य-श्राव्य माध्यम भी समय, स्रोत, उपलब्धता एवं विद्युत के अभाव में कितने सक्षम साधन इस दिशा में सिद्ध हो पाते हैं, इस तथ्य से भी सभी परिचित हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास समुदायों तक अपनी बात पहुँचाने, उन्हें सूचना देने, आगामी संकट के संबंध में सचेत करने तथा संभावित विपदा के संबंध में पूर्व तैयारी करने हेतु वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए हमारी पाठशाला के बच्चे प्रभावी एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विपदाओं के संबंध में तथा उनके संबंध में निवारक उपाय बरतने के संबंध में हम अपनी पाठशाला के बच्चों के माध्यम से उनके माता-पिता एवं परिवार तक अपनी बात पहुँचाकर उन्हें विपत्ति के संबंध में पूर्व तैयारी करने हेतु प्रशिक्षित कर सकते हैं तथा भावी संकट से उन्हें बचा सकते हैं। साथ ही, हम विपदाओं के पूर्व, विपदाओं के दौरान तथा विपदाओं के बाद उठाए जानेवाले कदमों के बारे में तथा निवारक उपायों के बारे में पाठशाला के छात्रों को प्रशिक्षित करके उन्हें आगामी संकट से संघर्ष करने हेतु सक्षम भी बना सकते हैं क्योंकि विपदाओं में प्रभावित होनेवालों एवं मृत्यु के मुख में जानेवालों में सर्वाधिक संख्या बच्चों की ही होती है।

'विपदा निवारण' का यह अंक 'पाठशाला आधारित विपदा जोखिम कम करने विषयक सीख' से संबंधित है जिसमें पाठशाला सुरक्षा अभियान की जरूरत : पाठशाला ही क्यों? राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यसूचियों में पाठशाला आधारित विपदा जोखिम कम करना, स्थानीय क्षमताओं का निर्माण : ए.आई.डी.एम.आई. के पाठशाला सुरक्षा प्रशिक्षण, विपदा एवं चेतना, विपदा एवं सीख, विपदा एवं बीमा सुरक्षा, विपदा एवं आधारभूत ढाँचा तथा तथा विपदा एवं सुरक्षित पाठशाला विषयक क्रमशः आलेख हैं जो कि पाठशाला के माध्यम से विपदा विषयक चेतना समाज में फैलाने के प्रति केन्द्रित हैं। आशा है पाठक इस अंक से लाभान्वित होंगे तथा अपने बच्चों के सुंदर भविष्य हेतु उन्हें समुदाय में चेतना फैलाने का माध्यम बनाकर आगामी विपदाओं की स्थिति में उनका भविष्य सुरक्षित बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्यरत होंगे। ■

– डॉ. राम गोपाल सिंह,
वरिष्ठ रीडर, गुजरात विद्यापीठ एवं
अध्यक्ष, अखिल भारतीय अनुवाद परिषद, अहमदाबाद

पाठशाला सुरक्षा अभियान की जरूरत : पाठशाला ही क्यों?

एशिया में पाठशाला सुरक्षा एवं पाठशाला आधारित विपदा शिक्षा की आवश्यकता की प्राथमिकता के रूप में व्यापक रूप से पहचान की गई है। इस क्षेत्र में परिणामों की प्राप्ति हेतु मुख्य ढाँचागत कार्य हाल ही में विकसित हुए हैं तथा जिन ऐसे प्रलेखों में इन्हें दिया गया है, वे हैं : पाठशाला सुरक्षा हेतु अहमदाबाद कार्य हेतु कार्यसूची, पाठशाला सुरक्षा विषयक जनवरी, २००७ में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संमेलन की परिणति, पाठशाला शिक्षा एवं विपदा जोखिम कम करना विषयक अक्टूबर, २००७ में आयोजित एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय कार्यशाला की परिणति।

चूँकि विपदाओं का विभिन्न समुदायों पर प्रभाव पड़ता है, अतः विशेष रूप से पाठशाला पर ही ध्यान केन्द्रित क्यों किया गया है?

विपदागत परिस्थितियों में बच्चे सर्वाधिक प्रभावित असुरक्षित समूहों में होते है। प्रायः १५ वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या प्राकृतिक विपदाओं के पीड़ितों की संख्या से लगभग आधी होती है।[१] भौतिक कठिनाई एवं दबाव को सहने में उनकी हालत अत्यंत नाजुक होती है। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अपरिपक्व होती है तथा वे विकास के महत्वपूर्ण चरणों में होते हैं।

जब विपदा दस्तक देती है तो भारत जैसे विशेष रूप से असुरक्षित स्थितिवाले विकासशील देशों में जहाँ बच्चे जिन पाठशाला के भवनों में प्रायः निर्माणगत संहिताओं या नियमों का पालन नहीं किया गया होता है। इसके कारण दुखद घटनाएँ घटित होती हुई देखी जाती हैं; जैसे-वर्ष २००४ की कुंभकोणम् की आग की घटना जो कि एक ऐसी विपदा थी जिससे बचा जा सकता था लेकिन इसमें एक पाठशाला में ९४ छात्रों की मृत्यु हुई थी तथा वर्ष २००१ के गुजरात के भूकंप के कारण ९०० बच्चों की जानें गईं - वास्तव में, यदि गणतंत्र दिवस की परेड़ में अधिकांश बच्चे बाहर गलियों में नहीं गए होते तो इतनी मौतें न होकर कम मौतें होतीं। व्यापक एशियाई क्षेत्र में छात्रों की असुरक्षित स्थिति में हाल ही के उदाहरणों में पाकिस्तान एवं भारत के वर्ष २००५ के भूकंप को जोड़ा जा सकता है जिसके कारण १७००० से अधिक छात्रों की मौतें इसलिए हुईं क्यों उनकी पाठशाला ध्वस्त हो गई थीं तथा फिलीपींस में लेयेटे द्वीप पर हुए वर्ष २००६ के पंकस्खलन में स्थानीय प्राथमिक शाला दब गई थी तथा इसके कारण २०० से अधिक बच्चे कालकवलित हो गए थे। हमारी पाठशाला के छात्र विपदा के प्रति विशेष रूप से असुरक्षित स्थिति में होते है; अतः विपदा जोखिम कम करने के क्षेत्र में कार्यरत हम लोगों की विशेष जवाबदारी उनकी सुरक्षा करने के प्रति है।

इस अंक की सभी तस्वीरें : ए.आई.डी.एम.आई.

प्रायः प्राकृतिक विपदाओं के पीड़ितों की लगभग आधी संख्या १५ वर्ष से कम उम्र के बच्चों की होती है।

समुदायों के लिए व्यापक स्तर पर विपदा जोखिम कम करने हेतु पाठशाला प्रभावी स्थल हो सकती है। जैसा कि यू.एन./आई.एस.डी.आर. द्वारा टिप्पणी की गई है कि टिकाऊ सामूहिक मूल्यों के प्रवर्धन हेतु पाठशाला सर्वोत्कृष्ट स्थल हो सकते है; अतः बचाव की संस्कृति एवं विपदा पुनः प्राप्ति के लिए अनुकूल होते हैं।[२] कई समुदायों में पाठशाला को सामुदायिक प्रसंगों एवं सामाजिक कार्यक्रम स्थल हेतु केन्द्र के रूप में देखा जाता है तथा आपात स्थिति के दौरान उन्हें एकत्रित होनेवाले स्थानों या अस्थायी आश्रय आवासों के रूप में देखा जाता है। अतः उन्हें सामुदायिक विपदा जोखिम कम करने विषयक कार्यों हेतु मुख्य संस्थानों के रूप में देखे जाने की पूरी की पूरी संभावना है।

अंततः वैश्विक प्राथमिक शिक्षा वर्ष २०१५ तक यू.एन. सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पाठशाला सुरक्षा अभियान चलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि लोग पाठशाला को सुरक्षित स्थानों के रूप में नहीं देखेंगे तो वे अपने बच्चों को पाठशाला में भेजने का जोखिम नहीं उठाएँगे। पर्याप्त पाठशाला सुरक्षा उपायों के अभाव से वैश्विक शिक्षा का लक्ष्य हांसिल नहीं किया जा सकता है।

विपदा कम करने के यूनेस्को के प्रभाग के प्रमुख बादाओई रॉभान लिखते है; "यह बात व्यापक रूप से स्वीकृत है कि विपदा कम करने हेतु शिक्षा, समाज को आगे ले जाने तथा उन्हें विकसित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखनेवाली किसी भी शैक्षणिक रणनीति का अनिवार्य अंग होना चाहिए।"[३] चूँकि हमने एशिया में विपदा जोखिम कम करने हेतु सामूहिक रूप से कार्यसूची बनाई है अतः हमें इसकी शुरुआत पाठशाला से करनी ही चाहिए। ■

१ "आधारभूत टिप्पणी।" विपदा जोखिम कम करने में महिलाओं एवं बच्चों के प्रश्नों का आकलन। विपदा जोखिम कम करने विषयक द्वितीय एशियाई मंत्रिमंडलीय संमेलन, नवंबर, ७-८, २००७।

२ यू.एन./आई.एस.डी.आर. २००६-०७ वैश्विक विपदा कम करने का अभियान : पाठशाला में विपदा जोखिम कम करने की शुरुआत। http://www.unisdr.org/eng/public_aware/world_camp/2006-2007/wdrc-2006-2007.htm

३ बचाव की संस्कृति की ओर विपदा जोखिम कम करने की पाठशाला में शुरुआत : अच्छे कार्य तथा सीखे गए पाठ, संयुक्त राष्ट्र, २००७, पृष्ठ-५।

राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यसूचियों में पाठशाला आधारित जोखिम कम करना

पाठशाला सुरक्षा : क्षेत्रीय कार्यसूची एवं राष्ट्रीय कार्यवाही

शिक्षा को बुनियादी मानव अधिकार के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, सरकार एवं संबंधित गैर सरकारी संगठनों को इस सभी को सुलभ होने के प्रयास करने चाहिए। द्वितीय यू.एन. सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य में संस्थाओं एवं सरकारों को इस हेतु सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की सिद्धि वर्ष २०१५ तक करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर भी, वर्ष २००१ की भारत की जनगणना से संकेत प्राप्त होता है कि राष्ट्रीय साक्षरता दर ६५ प्रतिशत के अंदर है जिसका अर्थ यह है कि ३५ करोड़ से अधिक लोग अभी ऐसे है जिन्हें पढ़ना या लिखना नहीं आता। इन लोगों को शिक्षा देने की जरूरत है तथा उन्हें सुरक्षित परिवेश में शिक्षित करने की भी जरूरत है।

अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर, यू.एन./आई.एस.डी.आर. से वर्ष २००६-२००७ के वैश्विक विपदा कम करने के अभियान का विषय "विपदा जोखिम कम करने की शुरुआत पाठशाला में होती है" निर्धारित किया था। एशियाई एवं भारतीय विपदा प्रबंधन संस्था की कार्यसूचियों में भी इसे प्राथमिकता दिए जाने की शुरुआत हुई है। भारत एवं समग्र एशियाई क्षेत्र में लगातार कई सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से पाठशाला सुरक्षा को कार्यसूची में नियमित मदद के रूप में लिया गया है। इस वैश्विक शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐसी प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि छात्रों को अध्ययन हेतु सुरक्षित स्थान प्राप्त हो सके तथा समुदायों को व्यापक स्तर पर उनकी पाठशाला के माध्यम से विपदा जोखिम कम करने के उपायों के अंतर्गत समाहित करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

क्षेत्रीय पहल

कार्य हेतु ह्योगो आधारभूत ढाँचे (एच.एफ.ए.) का मसौदा वर्ष २००५ में कोबे में विपदा कम करने विषयक विश्व सम्मेलन में तैयार किया गया था जिसे विपदा जोखिम कम करने की रणनीति हेतु मुख्य अंतरराष्ट्रीय आधारभूत ढाँचे के रूप में लिया गया है। घोषणा की बहुविध धाराओं में प्रवर्थित डी.आर.आर. पहलों एवं पाठशाला में उन्नत सुरक्षा-उपायों की पहल की गई है। एशियाई सरकारों ने वर्ष २००७ में आयोजित द्वितीय एशियाई मंत्रिमंडलीय संमेलन में क्षेत्रीय रणनीतियों एवं पहलों के साथ एच.एफ.ए. विषयक अनुवर्ती कार्यवाही की है। इस संमेलन की परिणति दिल्ली घोषणापत्र के रूप में साकार हुई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सरकारों से पाठशाला शिक्षा में समाकलित विपदा जोखिम कम करने को अपनाने हेतु अनुरोध किया गया है तथा बच्चों के लिए पाठशाला को सुरक्षित बनाने की पहल की गई है।

बैंगकॉक कार्यवाही हेतु कार्यसूची में विपदाओं के प्रति पाठशाला एवं छात्रों की असुरक्षित स्थिति को कम करने हेतु सिफारिशों, प्राथमिकताओं एवं रणनीतियों तथा विपदा प्रभावित एवं विपदा संभावित पाठशाला समुदायों के प्रगतिशील निर्माण हेतु सूची दी गई है। इसकी सिफारिशें पाठशाला शिक्षा एवं विपदा जोखिम कम करने विषयक एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यशाला की परिणति है तथा ये निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित है :

- पाठशाला शिक्षा में डी.आर.आर. का समाकलन
- सामुदायिक पुनः प्राप्ति हेतु डी.आर.आर. शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
- पाठशाला को सुरक्षित बनाना
- डी.आर.आर. हेतु बच्चों का सशक्तीकरण
- राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पहल।

पाठशाला सुरक्षा हेतु अहमदाबाद कार्यवाही कार्यसूची में एम.डी.जी. एवं एच.एफ.ए. विषयक आगे का कार्य शामिल है। यह कार्यसूची भारत सरकार एवं सीड्स संस्था द्वारा जनवरी २००७ में आयोजित पाठशाला सुरक्षा विषयक अंतरराष्ट्रीय संमेलन की परिणति है। इस कार्यसूची द्वारा प्रस्तुत मुख्य लक्ष्य वर्ष २०१५ तक निरोधक विपदाओं से बच्चों की मृत्युदर शून्य तक लाना है। इस लक्ष्य की सिद्धि हेतु निम्नलिखित श्रेणियों के रूप में विभिन्न प्राथमिकताओं की पहचान की गई है :

- पाठशाला में विपदा जोखिम कम करने की शिक्षा
- विपदा प्रतिरोधी पाठशाला का आधारभूत ढाँचा

इन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पाठशाला सुरक्षा कार्यसूचियों एवं पहलों में हमारे बच्चों की सुरक्षा को प्रवर्थित रूप में प्राथमिकता दी गई है। अब यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी पदाधारी अनुवर्ती कार्यवाही करें तथा दिशानिर्देशों एवं सिफारिशों के अनुसार कार्य करें। इस्लामाबाद में आयोजित पाठशाला सुरक्षा विषयक आगामी अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन (मई, २००८) में समग्र विश्व से इस क्षेत्र में कार्यरत लोग भाग लेंगे तथा वे प्राथमिकताओं पर पुनः भार देंगे, ली गई सीख से परस्पर लाभ उठाएँगे, रणनीतियाँ विकसित करेंगे, दिशानिर्देश तैयार करेंगे तथा पाठशाला सुरक्षा हेतु समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तावित करेंगे। आइए हम इस अधिवेशन के नतीजों का उपयोग करें तथा इस अधिवेशन की कथनी को करनी में परिवर्तित करके अपने बच्चों को सुरक्षित बनाएँ। ■

सुरक्षित पाठशाला अभियान-प्रशिक्षक संचित ओझा राजस्थान में शिक्षा आधारित पाठशाला सुरक्षा पहल के संबंध में शिक्षकों की समूह कार्य के दौरान सहायता करते हुए।

स्थानीय क्षमताओं का निर्माण : ए.आई.डी.एम.आई. के पाठशाला सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

सुरक्षित पाठशाला अभियान प्रशिक्षक विशाल पाठक पाठशाला के लिए पुनः प्राप्ति के निर्माण में अधिकारियों की भूमिकाओं की व्याख्या करते हुए।

दक्षिण एशिया में पाठशाला आधारित विपदा कम करने के उपाय की आवश्यकता सुस्पष्ट है। फिर भी, समग्र क्षेत्र में पाठशाला एवं समुदायों की विशेषताएँ अत्यंत भिन्न-भिन्न रूप में है तथा एक ही तरह की विपदा जोखिम कम करने की गतिविधियाँ सभी पाठशाला में करने से अधिकाधिक प्रभाव नहीं डाला जा सकता। इस स्थिति की वजह से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा होता है जो मात्र पाठशाला सुरक्षा कार्यों के लिए ही संगत नहीं है अपितु सभी विपदा जोखिम कम करने के सामुदायिक अभियानों के लिए भी संगत है : कोई भी जड़मूल स्तरीय अभियान राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर समुदाय द्वारा की गई गतिविधियों को कैसे प्रवर्धित कर सकता है।

पाठशाला सुरक्षा प्रशिक्षण

ए.आई.डी.एम.आई. के सुरक्षित पाठशाला अभियान के प्रति बच्चे के अधिकार विषयक प्रश्न का उत्तर पाठशाला सुरक्षा प्रशिक्षणों हेतु विपदा पूर्व तैयारीगत विकास के माध्यम से मिलना शुरु हो गया है। ये प्रशिक्षण जड़मूल स्तर पर लागू करने के लिए तैयार किए गए है विपदा पूर्व तैयारी हेतु स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पाठशाला के शिक्षकों, प्रशासकों एवं सरकारी शिक्षा अधिकारियों में विपदाओं विषयक वैज्ञानिक समझ देने तथा चेतना फैलाने के लिए कार्य किए गए हैं। इनमें अभियान की मुख्य गतिविधि शामिल हैं तथा इन्हें इस तरह के विपदा कम करने के उपायों के साथ तैयार किया गया है कि इसमें विद्यार्थी सुरक्षा बीमा सुरक्षा के प्रावधान किए गए है, अग्निशमन यंत्रों को लगाने तथा आई.ई.सी. सामग्रियों एवं पाठशाला सुरक्षा पेटी के वितरण का प्रवधान भी किया गया है। ये प्रशिक्षण व्यक्ति केन्द्री हैं तथा स्थान एवं जरूरत के मुताबिक हैं तथा अनुभवी प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों के बीच व्यक्तिगत रूप में बातचीत की जरूरत को ध्यान में रखा गया है। अतः इस तरह की व्यक्तिकेन्द्रित गतिविधि को राष्ट्रव्यापी रूप में समुदायों तक कैसे विस्तृत किया जा सकता है।

पाठशाला सुरक्षा प्रशिक्षण
ए.आई.डी.एम.आई. के स्थानीय क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम (एल.सी.बी.सी.) अंग रूप है। एल.सी.बी.सी. द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न वर्ग सुरक्षित भविष्य हेतु असुरक्षित स्थितिवाले समुदायों का सशक्तीकरण करते हैं। असुरक्षित स्थितिवाले समुदायों के विकास के प्रति स्थानीय ज्ञान एवं सामुदायिक क्षमताएँ केन्द्रीय है। एल.सी.बी.सी. प्रतिभागितापूर्ण एवं नवीन परावर्तित अधिगम पद्धतियों के माध्यम से समुदाय आधारित पहुँच बनाने में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है।

व्यापक श्रोतावर्ग तक पहुँचना : प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

व्यापक स्तर पर समुदाय द्वारा तैयार की गई जरूरत आधारित प्रशिक्षणों को जारी रखने के लिए इस अभियान में विभिन्न राज्यों में से प्रत्येक में स्थानीय भागीदारों के सहयोग से 'प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण' मॉडल विकसित किया गया है। विभिन्न राज्यों में रूचिकर लोगों को प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित करके उन्हें सशक्तिकृत करके सुरक्षित पाठशाला प्रशिक्षण न्यूनतम अभियान से और अधिक आगे विस्तृत किया जा सकता है। प्रतिभागियों में पाठशाला के शिक्षक तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया जा सकता है तथा इनमें से सभी की जवाबदारी अपने संबंधित खंडों एवं जिलों में पाठशाला के कर्मचारी गण को पाठशाला आधारित विपदा जोखिम कम करने की सीख तत्पश्चात् देनी होगी।

प्रशिक्षण संयोजित रूप से आयोजित किए जाते हैं तथा इनमें जिला शासन शिक्षा कार्मिक एवं/या स्थानीय भागीदार संस्थानों के मुख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। वे कई गतिविधियों में इस अभियान के साथ जुड़कर कार्य करते हैं तथा आगामी प्रशिक्षणों का संयोजन, निगरानी का प्रभाव एवं पाठशाला सुरक्षा अनुक्रिया निधियों का प्रबंधन तथा सूक्ष्म बीमा पॉलिसी सहित अल्प अभियानगत दृष्टि के साथ वे एक-दूसरे से जुड़कर कार्य करते है।

हाल ही में पाठशाला सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार, तमिलनाडु, जम्मु एवं कश्मीर, राजस्थान एवं गुजरात में चलाए गए हैं। इन सभी पाँच स्थानों में से प्रत्येक स्थान पर इसके मॉडल के स्थानीय रूप में स्वीकृत मॉडल का इस अभियान में उपयोग किया गया। गुजरात के प्रशिक्षण कार्यक्रम गुजरात सामुदायिक विज्ञान केन्द्र द्वारा अभिज्ञात चुने गए शिक्षकों के लिए

आयोजित किए गए। यह केन्द्र पाठशाला सुरक्षा संसाधन अभियान हेतु एक मुख्य केन्द्र के रूप में कार्य करता है बिहार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में क्षेत्र की पाठशाला के शिक्षकों एवं प्रशासकों ने भाग लिया; साथ ही, इसमें संयोजन एवं अनुवर्ती कार्यों की जवाबदारी स्थानीय भागीदारी गैर सरकारी संगठनों ने अपने कंधों पर ली, तथा तमिलनाडु के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लोक जिला शिक्षा अधिकारी के संयोजकत्व में आयोजित किए गए तथा इसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्य केन्द्रों के अनुभवी शैक्षणिक प्रशिक्षकों ने प्रतिभागिता की। तीनों मॉडल टिकाऊ जड़मूल स्तरीय अभियान को चलाने के लिए अत्यंत उपदिय सिद्ध हुए।

गुजरात

गुजरात में, प्रशिक्षण कार्यक्रम लक्षित पाठशालाओं के अभियान टीम के सदस्यों एवं शिक्षकों एवं प्रशासकों के बीच आयोजित किए गए। यह अभियान अनुवर्ती कार्यों के रूप में सीधे चलाए गए। सरकारी सहायता द्वारा चालित सामुदायिक विज्ञान केन्द्र ने पाठशाला की पहचान प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु तथा पाठशाला सुरक्षा निधि का प्रबंधन करने के साथ-साथ कुछ कार्यों को अंजाम देने में भी सहायता की। इस मॉडल से अभियान दल के सदस्यों एवं प्रशिक्षकों के बीच घनिष्ठ बहुस्तरीय विचार-विमर्श हुआ जिससे प्रशिक्षकों ने प्रथमतः पाठशाला की अनुक्रिया को जाना तथा प्रभाव का व्यवस्थित तरह से आकलन किया। इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर चालू नहीं रखा जा सकता क्योंकि दूर दराज के राज्यों में कई कार्यों के साथ इस अभियान को प्रत्यक्ष रूप में चलाने के लिए संसाधन तदनुरुप नहीं हैं लेकिन इस अभियान की महत्वपूर्ण मूल्यवान सीख से अन्यत्र कार्य करने के अवसर खोजे जा सकते हैं।

बिहार

बिहार में भी प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान प्रत्यक्ष रूप से परस्पर विचार-विमर्श किया लेकिन अनुवर्ती कार्य इस अभियान के स्थानीय भागीदार गैर सरकारी संगठनों ने ही किए। इस गैर सरकारी संगठनों को जमीनी स्तर पर गहन जानकारी है तथा स्थानीय समुदायों के साथ इनके संबंध भी बहुत अच्छे है। यह मॉडल गुजरात मॉडल की तुलना में व्यापक स्तर पर चल सकता है; जैसे ही यह अभियान बड़ी संख्या में भारतीय पाठशालाओं तक पहुँचेगा तो इस अभियान को अपने स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रूप में अकेले हाथ से चला पाना संभव नहीं होगा तथा भागीदारों पर लगातार निर्भर रहना होगा। इस मॉडल में अभियान के कार्यों का नियंत्रण बाहरी संस्थाओं के हाथों में चले जाने की संभावना है अतः इस अभियान को आगे बढ़ाकर लक्ष्य सिद्ध करने में ट्रस्टों एवं अत्यंत सक्षम भागीदारों का सहयोग आवश्यक होगा। बिहार में अब तक भागीदारों ने नई पाठशाला की पहचान करने एवं उन्हें सूचीबद्ध करने, कोष एकत्रित करने, प्रतिभागिता के स्तरों को बढ़ाने, अभियान को समग्र रूप से स्वतंत्र रूप में चलाने हेतु क्षमताओं में सुधार लाने तथा अत्यंत असुरक्षित स्थितिवाले बच्चों हेतु विशेष सुरक्षा उपायों को अपनाने में महत्वपूर्ण रूप में विशेषता प्राप्ति की है।

तमिलनाडु

पाठशाला के कर्मचारी गण को सीधे इस कार्यक्रम में जोड़ने के बजाय इन तमिलनाडु प्रशिक्षण कार्यक्रमों में खंड संसाधन शिक्षकों (बी.आर.सी.एस.) को सार्वजनिक रूप से उनके संबंधित क्षेत्रों में पाठशाला में संबंध स्थापन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नियोजित किया गया। बी.आर.सी.एस. खंड संसाधन केन्द्रों पर आधारित है। जो कि सरकार द्वारा चालित मुख्य केन्द्र तथा समग्र राज्य में खंडवार रूप में लोक शिक्षा में सुधार लाने हेतु कार्यरत है। दो दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण साहित्य की प्राप्ति के बाद बी.आर.सी.एस. अपनी पाठशाला में, पाठशाला सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए सक्षम होते है। इस मॉडल में अभियान प्रशिक्षकों एवं पाठशाला के कर्मचारी गण के साथ किसी प्रत्यक्ष विचार-विमर्श की व्यवस्था नहीं है अतः सामुदायिक रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर अपनाकर एक स्थापित सफल ढाँचे का उपयोग करके इसे प्रभावी रूप में उपयोगी बनाया जा सकता है। फिर भी, बी.आर.सी.एस. तमिलनाडु में अद्वितीय रूप में सफल है तथा यह अभियान अपनी इस रणनीति को उन्हीं जगहों पर लागू करता है जहाँ इस तरह का ढाँचा मौजूद होता है। तमिलनाडु में इस अभियान को स्थानीय सरकार का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ है जिससे इस अभियान के कार्यों की वैधता सिद्ध होती है तथा इसे आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलता है तथा महत्वपूर्ण भागीदारी भी सर्जित होती है। यह अभियान जिन राज्यों में चलाया जा रहा है वहाँ इसे सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है।

प्रभाव

पाठशाला सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम मॉडलों के इन विभिन्न मॉडलों में से प्रत्येक विकसित रणनीति में उपयोगी सिद्ध हुआ है तथा इससे अभियान के लक्ष्यों की सिद्धि होती है। प्रशिक्षकों एवं लक्षित श्रोताओं के बीच सीधे विचार-विमर्श से, गुजरात की ही भाँति, उनका प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव होता है तथा उनकी भागीदारी होती है या समय समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अनुवर्ती कार्यों के माध्यम से, बिहार की ही भाँति, यह अभियान स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ा हुआ रहकर जमीनी यथार्थों के साथ चलता है तथा इसके आकलन, अनुकूलन एवं सुधार की क्षमता में सुधार होता है। समग्र देश में स्थापित अभियान संसाधन केन्द्रों के भागीदारों के सहयोग से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है तथा समुदाय द्वारा तैयार किए गए इस अभियान के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर करके दीर्घकालीन रूप में इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है। मॉडलों के समिश्रण के परिणामस्वरूप समुदाय आधारित राष्ट्रीय विपदा जोखिम को कम करना आंदोलन के रूप में सुरक्षित पाठशाला अभियान को और अधिक प्रवर्थित रूप में चलाया जा सकता है। ■

प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठयक्रम की विषयवस्तु

- भारत में विपदा की परिभाषा एवं समझ।
- समुदाय आधारित विपदा जोखिम प्रबंधन।
- पाठशाला में विपदा पूर्व तैयारी की आवश्यकता।
- अधिकारियों की भूमिका एवं जरूरत।
- समूह अभ्यास : पाठशाला में विपदा जोखिम कम करने की योजना।
- खेल : समन्वय कार्य की समझ।
- बच्चों में वैज्ञानिक चेतना फैलाना।
- अग्नि सुरक्षा प्रदर्शन एवं मॉक ड्रिल।
- क्षेत्र कार्य : जोखिम की गणना।
- विपदा से पहले, विपदा के दौरान तथा विपदा के बाद क्या करें और क्या न करें।
- विकसित देशों में पाठशाला सुरक्षा उपाय।
- मनोवैज्ञानिक मुद्दे।
- विपदा बीमा एवं पाठशाला सुरक्षा की प्रतिक्रिया का कोष।

लिंगगत समानता की चेतना बपचन से ही शुरु होनी चाहिए

श्री निरूपा कन्होली, बिहार में बालिका आवासीय पाठशाला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) की पाँच महिला अध्यापिकाओं में से एक है। यह पाठशाला बाल अधिकार हेतु सुरक्षित पाठशाला अभियान समर्थित पाठशालाओं में से एक है। मदर टेरेसा से प्रेरित होकर २४ वर्षीय निरूपा ने अपने देश के लिए कुछ सकारात्मक रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की सोची। दो वर्ष पूर्व, उसने इस सरकारी निधि से चलनेवाली पाठशाला में नौकरी शुरू की। यह पाठशाला बिहार में १० से १४ वर्ष की आयु की ग्रामीण, निम्न जाति एवं निम्न आयु वर्ग के परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा देती है तथा उनकी देखभाल करती है। यदि यह पाठशाला तथा भावप्रवण निरूपा जैसे शिक्षक न हों तो इन बालिकाओं को तो कभी भी शिक्षित होने के अवसर ही उपलब्ध नहीं होते।

ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इस शिक्षा प्रणाली ने प्रायः बालिकाओं को बालकों की अपेक्षा निष्कृष्ट रूप में मानकर व्यवहार किया है। इसकी वजह से समाज के कई क्षेत्रों में अत्यंत लिंगगत अंतराल बढ़ गया है। शैक्षणिक मामलों में यह अंतराल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है : विश्व की दो तिहाई से अधिक ८०० मिलियन महिलाएँ अशिक्षित है। वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार, भारत में प्रौढ़ महिलाओं की आधी संख्या अशिक्षित है।[४] इस तरह की आवश्यकता की अनुक्रिया हेतु संयुक्त राष्ट्र ने अपने द्वितीय सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एम.डी.जी.) के रूप में वैश्विक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा है तथा लिंगगत समानता को बढ़ावा दिया है और एम.डी.जी. संख्या तीन के रूप में महिलाओं के सशक्तीकरण की बात की गई है। यह प्रक्रिया उनकी बाल्यावस्था से ही प्रोत्साहित की जानी चाहिये।

विपदाओं में महिलाएँ

प्रायः शिक्षा प्रणाली में हाँसिए पर अवस्थित तथा सीमित रूप में सीमित लिंगगत भूमिका में रहकर ग्रामीण महिलाएँ विपदा की परिस्थितियों में अत्यंत असुरक्षित स्थिति में होती है। बाल अधिकार हेतु सुरक्षित पाठशाला अभियान समर्थित के.जी.बी.वी. ने द्वितीय एम.डी.जी. को आगे बढ़ाने के लिए यह सुनिश्चित किया है कि युवा बालिकाओं को अध्ययन हेतु सुरक्षित स्थान की जरूरत होती है तथा तृतीय एम.डी.जी. में इस बात को बढ़ावा दिया गया है कि विपदा प्रबंधन एवं जोखिम कम करने के कारक तत्व के रूप में बालकिाओं का सशक्तीकरण किया जाए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी पाठशाला आधारित विपदा जोखिम कम करना अभियान में इस असुरक्षित स्थिति की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

बालिकाओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना

पाठशाला में शिक्षकों का कार्य अत्यंत चुनौती भरा एवं कठिन होता है। वे गाँवों में जाकर अभिभावकों से मिलकर उनकी बालिकाओं को पाठशाला में शिक्षा हेतु भेजने के लिए तैयार करती हैं तथा उनके माता-पिता को उनकी बालिकाओं को शिक्षित करने की महत्ता समझाती है। यह कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। बहुत से समुदायों में लड़कियों का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में कर दिया जाता है जब लड़कियों की उम्र मात्र १४ वर्ष ही होती है तथा विवाह के बाद वे घर में ही रहकर गृह कार्य ही करती हैं। अतः ऐसी स्थिति में परंपरागत मूल्यों को खत्म करके बालिकाओं को शिक्षा हेतु पाठशाला में भेजने के लिए उनके माता-पिता को तैयार करने का कार्य अत्यंत चुनौती से भरा होता है। इसके साथ ही, बालिका को पाठशाला में भेजने का मतलब यह है कि घर के कामकाज में हाथ बँटानेवाले एक ऐसे सदस्य को पाठशाला में भेजना जो खेतों में काम में हाथ बँटाता हो तथा अपने छोटे भाई-बहन की देखभाल करता है और खाना तैयार करने में हाथ बँटाता हो। लेकिन शिक्षकों ने इसके बिल्कुल विपरीत दृश्य भी देखें है जिनमें बालिकाओं के माता-पिता अपनी बच्चियों को शिक्षा देने के लिए शिक्षिकाओं का आभार व्यक्त करते है क्योंकि उनके ऐसा न करने से उनकी बच्चियों को शिक्षित होने से शायद वंचित रहना पड़ता।

के.जी.बी.वी. पाठशाला में विद्यार्थी ग्रामीण बालिकाओं को होनेवाली कठिनाई के संबंध में गीत गा रहे हैं।

सीमित संसाधन

पाठशाला की ५० बालिकाएँ एक छात्रालय में रहती है तथा उन्हें शिक्षण सामग्री एवं खाना दिया जाता है। यहाँ आवासीय जगह अत्यंत सीमित है। रात में दो कक्षाओं के खंड उनके शयन खंड बन जाते है जिनमें एक पलंग पर दो छात्राएँ सोती है। दो कार्यकर उनका खाना बनाते है तथा उन्हें शाकाहारी खाने के रूप में संतुलित आहार देने के प्रयास किए जाते है। प्रति वर्ष, वर्षाकाल में उनके खाना खानेवाली जगह तालाब के रूप में तब्दील हो जाती है तथा यह समय बेहद कष्टभरा होता है।

युवा महिलाओं का सशक्तीकरण

हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान के परंपरागत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त शिक्षक, बालिकाओं को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में बताने के साथ-साथ महिला लिंगगत मुद्दों विषयक चेतना पर भी बल देते है। इस बात को अनुदेशों के रूप में तथा गानों के रूप में विभिन्न कला रूपों में अभिव्यक्ति दी जाती है। पाठशाला के कक्ष सुप्रसिद्ध महिला नेताओं के नाम पर रखकर उन्हें बालिकाओं के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

पाठशाला में सिलाई एवं कढ़ाई जैसे व्यावसायिक कौशल भी सिखाए जाते है जिन्हें ये बालिकाएँ पाठशाला में आने के बजाय घर में रहकर भी सीख गई होतीं। पर शायद प्रोत्साहन एवं उत्साह के अभाव में यह नहीं देखा गया होता।

सुनहरे भविष्य के प्रति

यह बालिका पाठशाला भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निधि प्रस्त २००० से अधिक के.जी.बी.वी. पाठशालाओं में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य पददलित एवं असुरक्षित स्थितिवाली बालिकाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। शिक्षकों की जीवन-शक्ति एवं उत्साह ज्ञान से ये बालिकाएँ प्रोत्साहित है और ये बालिकाएँ अपनी कला के कारण दूसरों के लिए आदर्श रूप होनी चाहिए। कोई भी सामुदायिक अभियान या संबंधित गैर सरकारी संगठन, चाहे वह विपदा जोखिम कम करना केन्द्रित हो या शिक्षा केन्द्रित या और कुछ भी केन्द्रित हो, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे इस तरह से पाठशाला को कैसे सहायक हो सकते है तथा इस तरह के उद्देश्यों की सिद्धि कैसे कर सकते है। ■

४ मानव विकास अहवाल, २००७/२००८, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, पृष्ठ-२३१।

बच्चों के माध्यम से उनके परिवारों तक पहुँचना : क्षेत्र कार्य द्वारा सीख

पाठशाला के छात्रों के रक्षण हेतु विपदा जोखिम कम करना एवं पाठशाला सुरक्षा शिक्षा में वृद्धि करना एक अत्यंत उत्कृष्ट कार्य है। फिर भी, इस तरह के कार्यों के परिणाम बच्चों की इस तरह से सेवा करने से काफी आगे और अधिक लाभकारी रूप में विस्तृत किए जा सकते है। बाल अधिकार हेतु सुरक्षित पाठशाला अभियान से ए.आई.डी.एम.आई. ने जो एक महत्वपूर्ण बात सीखी है वह यह है कि बच्चों को विपदा प्रशिक्षण देने से, तथा विशेष रूप से विपदा का अनुभव कर चुके समुदायों को इस प्रशिक्षण को देने से, और अधिक लोगों तक प्रभावी एवं सक्षम ढंग से पहुँच बनाई जा सकती है। बच्चे इस दिशा में अत्यंत उत्साही होते है तथा वे अपने परिवारों में इस चेतना को व्याप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी शिक्षकों की भूमिका अदा करते है।

दिसम्बर, २००८ में, सुरक्षित पाठशाला अभियान के प्रशिक्षकों ने पुदुचेरी के नजदीक सूनामी प्रभावित पाठशाला में प्रशिक्षण देने तथा अन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए तमिलनाडु की मुलाकात की। अभियान दल के सदस्य वहाँ इससे पूर्व एक वर्ष रहे थे इस क्षेत्र में लगातार विपदा पूर्व तैयारी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए थे एवं इस क्षेत्र में ३० प्रभावित पाठशाला में आई.ई.सी. सामग्री वितरित की थी। आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जिस पाठशाला को समाहित किया गया था उनमें से एक पाठशाला थी - नडुकुप्पम् पंचायत संघ प्राथमिक विद्यालय। यह पाठशाला वह स्थान था जहाँ स्वच्छ एवं सुरक्षित जल भंडारण प्रबंध करके पुनर्वास सहायता भी उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष २००७ के इस दौरे में टीम के सदस्य नडुकुप्पम् पाठशाला में पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनुवर्ती कार्यवाही करने हेतु लौटे थे। पाठशाला को एक शिक्षिका तमाराय टीम के साथ जुड़ी थीं तथा मूल दौरे के अपने अनुभवों को उन्होंने टीम के सदस्यों को बताया था।

उनके मुख्य पर्यवेक्षणों में से एक पर्यवेक्षण यह था कि उनके विद्यार्थी विपदा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने परिवारों में अपने नवीन ज्ञान को तुरंत अंतरित कर देते है तथा वैज्ञानिक समझ एवं चेतना का प्रसार करते है तथा यह भी बताते है कि विपदा की स्थिति में

इस अभियान द्वारा संपन्न अधिकांश रूबरू कार्य प्रशिक्षकों एवं शिक्षकों के बीच हुआ है। डी.आर.आर. चेतना एवं शिक्षा शिक्षकों से छात्रों में तथा छात्रों से परिवारों तक प्रसारित होती है।

क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए; साथ ही, आपातकालीन योजनागत रणनीतियों के बारे में भी बताते है। उन्हें प्राप्त कौशल के प्रति वे अत्यंत उत्साहित होते है तथा विपदा की परिस्थितियों में वे इन अनुभवों का फायदा उठाते है। इन बातों को बच्चे अपने परिवार तथा भाईयों-बहनों के साथ बतियाने के लिए अत्यंत उत्साहित होते है।

इन सीखों को लोगों तक पहुँचाने की उनकी योग्यता किसी भी तरह से कम करके नहीं आँकी जा सकती। तमाराय के अनुसार इस क्षेत्र में कार्यरत एक अन्य गैर सरकारी संगठन बाद में पाठशाला में विपदा अनुक्रिया के संबंध में सीख देने के उद्देश्य से गया था तथा वहाँ पहुँचकर उसने पाया कि जो बात उन्हें गैर सरकारी संगठन व्यक्त करना चाहता था उसके संबंध में पाठशाला के बच्चे पहले से ही अवगत थे। वे अपनी बात को इतने सुचारू रूप में व्यक्त करने में सक्षम थे कि गैर सरकारी संगठन के प्रशिक्षकों ने निर्णय लिया कि उस पाठशाला में उन्हें इस पाठ को पढ़ाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी।

हमारे बच्चे अत्यंत मेघावी, सक्षम एवं उत्साही होते है। हमें अपने बच्चों से सदैव सीख लेनी चाहिए तथा विपदा जोखिम कम करना भी इस हेतु कोई अपवाद नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, जैसा कि यू.एन./आई.एस.डी.आर. ने संकेत दिए है कि बच्चों के माध्यम से अपनी बात समाज तक पहुँचाना समुदाय के प्रति महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषण का एक उम्दा तरीका होता है "समुदाय के प्रति एक अन्य संकेत यह देना चाहिए कि" यदि बच्चे इसे कर सकते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति इसे कर सकता है। कुछ पाठशाला केन्द्रित पहलों की अत्यंत स्पष्ट रूप में सफलता का परिणाम और अधिक व्यापक रूप में हो सकता है यदि हम इस सफलता की प्राप्ति हेतु और अधिक प्रयास करें।[५]

भारत में प्राकृतिक विपदाओं की बढ़ती हुई संख्या एवं उनकी तीव्रता की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि विपदा जोखिम कम करने के उपाय स्थानीय समुदाय तक पहुँचे। परिवारों एवं समुदायों तक पहुँच बनाने का एक उत्कृष्ट तरीका यह है कि हम उनके अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत उनके बच्चों के माध्यम से उन तक अपनी पहुँच बनाएँ। ■

५ यू.एन./आई.एस.डी.आर. २००६-२००७। वैश्विक विपदा कम करना अभियान : विपदा जोखिम कम करने का कार्य पाठशाला से शुरु होता है। http://www.unisdr.org/eng/public_aware/world_camp/2006-2007/wdrc-2006-2007.htm.

विद्यार्थी सुरक्षा बीमा : सफलता का एक दुखभरा उदाहरण

वर्ष १९९० में, फ्रांसिस ने श्रीलंका से भारत में उत्प्रवासित होने का निर्णय लिया था; उनके घर के पास संघर्ष की स्थिति खतरनाक मोड़ ले रही थी। वे तमिलनाडु में आए तथा वहाँ मुद्दलिय्यारकुप्पम गाँव में अन्य कई परिवारों के साथ शरण ली थी। कुछ समय के बाद, उन्होंने अपने समुदाय की एक लड़की विजयालक्ष्मी के साथ विवाह किया था। उनका परिवार अत्यंत शीघ्र बढ़ने लगा तथा उनके चार बच्चे पैदा हुए। फ्रांसिस ने अपने नए गाँव से तीन किलोमीटर दूर एक चर्च में मजदूर के रूप में कार्य करना आरंभ किया जबकि विजयालक्ष्मी बच्चों की एवं गृह कार्य की जवाबदारी सँभालती थी।

दिसम्बर ४, २००६ के दिन, फ्रांसिस अपने परिवार के साथ अपनी माताजी से मिलने के लिए गए। बच्चे बड़े हो गए थे। सबसे छोटा बेटा गणप्रकाश इस समय चौथी कक्षा में पढ़ रहा था। वे बच्चे अपनी दादी को देखकर उत्साहित हो जाते थे जो उन्हें कुछ पैसे खर्च करने के लिए देती थीं। गणप्रकाश अपनी पसंदवाली चॉकलेट खरीदना चाहता था। अपने गाँव लौटते समय उन्होंने सड़क के उस पार एक दुकान देखी तथा गणप्रकाश ने अपने पिता से कहा कि वह अपने लिए तथा अपने भाईयों के लिए चॉकलेट खरीदना चाहता है। वह सड़क पार करने के लिए दौड़ा तथा एक तेजी से आती हुई कार ने उसे टक्कर मारी जिससे वह सड़क से दूर उछलकर जा गिरा। कार का चालक वहाँ से भाग निकला। गणप्रकाश खून से लथपथ हो गया। फ्रांसिस एवं उसकी पत्नी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा तथा वे उसे पुदुचेरी आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए ले गए।

गणप्रकाश को पर्यवेक्षण हेतु अस्पताल में रखा गया तथा दो दिन के उपचार के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके सभी प्रकार के परीक्षण, निरीक्षण एवं उपचार किए गए थे। इस दुखद घड़ी में फ्रांसिस को रुपए-पैसों की भी व्यवस्था करनी थी; क्योंकि उपचार व्यय करीब २०,००० तक पहुँच गया था। रिश्तेदारों, दोस्तों तथा अन्य लोगों से उन्होंने १० प्रतिशत वार्षिक ब्याज से रूपए उधार लिए भी थे लेकिन दो दिन के बाद गणप्रकाश की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी एवं तीन बच्चे इस दुख की घड़ी में बिलख-बिलखकर रो रहे थे। फ्रांसिस के साथ अन्य समुदाय के सदस्यों ने मिलकर मृत शरीर की अंतिम क्रिया की तथा उसे दफनाया।

बेटे की मृत्यु के बाद, फ्रांसिस ने विभिन्न औपचारिकताओं एवं तैयारियों को करने में १०,००० रूपए और खर्च किए। अब उस पर कुल ३०,००० रूपए का कर्ज था तथा इस कर्ज को वह अदा कर पाने में असमर्थ था। अब उसके लिए अपने काम पर ध्यान देना भी कठिन कार्य बन गया, उसकी पत्नी की स्थिति भी ऐसी ही थी उसके तीनों बच्चे होनहार छात्र थे तथा वे भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे।

गणप्रकाश मुद्दलिय्यारकुप्पम के पंचायत संघ प्राथमिक पाठशाला में पढ़ रहा था। यह पाठशाला ए.आई.डी.एम.आई. के बाल अधिकार हेतु सुरक्षित पाठशाला अभियान द्वारा चलाए गए विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना के तहत तमिलनाडु को ३० सूनामी प्रभावित पाठशालाओं में से एक थी। इस बीमा योजना में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को समान रूप से किसी भी तरह की दुर्घटना या विपदा से नुकसान होने पर बीमा कवच प्राप्त होता है। इस बीमा योजना का रक्षा कवच उन्हें पाठशाला के समय तथा उसके बाद के समय में भी मिलता है तथा प्रति दिन २४ घंटे एवं सप्ताह के सातों दिन उन्हें इस योजना का रक्षा कवच प्राप्त होता है। गणप्रकाश की मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त होने के बाद ए.आई.डी.एम.आई. ने तुरंत दावा की प्रक्रिया शुरु की। बीमा योजना के अनुसार फ्रांसिस जीवन बीमा योजना एवं उपचार खर्च प्रतिपूर्ति हेतु कुल रूपए २७५०० प्राप्त करने के हकदार थे। न तो ए.आई.डी.एम.आई. और न ही अन्य कोई भी व्यक्ति परिवार के एक सदस्य की मृत्यु के दुख से किसी को भी उबार सकता था। फिर भी, बीमा योजना के तहत, गणप्रकाश को १७ रूपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर इस बीमा योजना का रक्षा कवच प्राप्त हुआ तथा फ्रांसिस एवं उसके परिवार को उस आर्थिक संकट से निपटने में मुक्ति मिली जिसकी वजह से वह गरीबी की स्थिति में पहुँच गया था। इससे उन्हे गणप्रकाश के भाईयों को पाठशाला छोड़ने तथा काम कराने के बजाय पाठशाला में जारी रखने का मौका मिला। हम जीवन या स्वास्थ्य की कीमत नहीं आँक सकते, फिर भी, हम मृत्यु होने एवं चोट लगने के उपरांत आर्थिक मुद्दों से निजात पाने के बारे में तो कम से कम सोच ही सकते है क्योंकि आर्थिक स्थिति बिगड़ने से हम पर तथा हमारे परिवार पर विपरीत असर पड़ता है। भारत में सभी विद्यार्थी अत्यंत दुर्घटना एवं विपदा की दृष्टि से असुरक्षित स्थिति में है। अतः यह आवश्यक है कि हम समग्र देश में असुरक्षित स्थितिवाले समुदायों एवं परिवारों के कल्याण हेतु इन जोखिमों को दूर करने की दिशा में विचार करें। ■

विपदा कम करने हेतु बीमा एक साधन है। इस अभियान में भारत के अत्यंत असुरक्षिततावाले समुदायों के बच्चों को लक्ष्य में रखा गया है।

सुरक्षित पाठशाला अभियान एवं ह्योगो आधारभूत ढाँचा

विपदा जोखिम कम करने का कार्य समग्र विश्व में समुदायों की सहायतार्थ किया जा रहा है अतः यह आवश्यक है कि इस संबंध में अपनाए गए मानकों एवं की गई सिफारिशों पर सभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकमत हों। कार्य हेतु ह्योगो आधारभूत ढाँचा वर्ष २००५-२०१५ कोबे, जापान में जनवरी, २००५ को आयोजित विपदा कम करने विषयक विश्व संमेलन में तैयार किया गया था जो कि विपदागत समुत्थान निर्माण हेतु मुख्य अंतरराष्ट्रीय आधारभूत ढाँचा है।

निम्नलिखित सूची से यह प्रदर्शित होगा कि शैक्षणिक पाठशाला सुरक्षा एवं विपदा चेतना अभियान को कैसे चलाया गया तथा इस मामले में ए.आई.डी.एम.आई. के बाल अधिकार हेतु सुरक्षित पाठशाला अभियान को एच.एफ.ए. द्वारा तैयार की गई प्राथमिकताओं के अनुरूप चलाया गया। ■

विद्यालय, जोधपुर, राजस्थान में अग्निशमन प्रदर्शन करते हुए।

एच.एफ.ए./प्राथमिकता	सुरक्षित पाठशाला अभियान
यह सुनिश्चित करना कि विपदा जोखिम न्यूनीकरण अमलीकरण हेतु सुदृढ़ संस्थागत आधार के साथ राष्ट्रीय एवं स्थानीय प्राथमिकता है।	सुरक्षित पाठशालागत पहलों के माध्यम से विपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु अवसर प्रकाशनों में समाहित किए गए है तथा स्थानीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर इन्हें प्रचारित-प्रसारित किया गया है। स्थानीय समुदायों के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हुए सुरक्षित पाठशाला अभियान में मानवीय संसाधनगत क्षमताओं का आकलन किया जाता है तथा सामुदायिक प्रतिभागिता को बढ़ावा दिया जाता है। अपने कार्यों को बढ़ावा देने के लिए यह सरकार के साथ उसकी भागीदारी में कार्य करता है।
विपदा जोखिमों की पहचान उनकी गणना एवं निगरानी करना तथा प्रारंभिक चेतावनी आगे भेजना।	सुरक्षित पाठशाला अभियान अपने संबंधित राज्यों में विपदा से प्रभावित एवं असुरक्षित स्थितिवाली पाठशालाओं के प्रतिनिधि नमूने के रूप में विशिष्ट जरूरतों की पहचान करके अमलीकरण किया जाता है। पाठशाला सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विपदाओं की पहचान करके तथा जोखिमों को कम करके, स्थानीय क्षमताओं का निर्माण किया जाता है।
सभी खतरों पर सुरक्षा एवं समुत्थान की संस्कृति के निर्माण हेतु ज्ञान, अभिनव परिवर्तन एवं शिक्षा का उपयोग करना।	सुरक्षित पाठशाला अभियान में पाठशाला के कर्मचारी गण, स्थानीय प्रशिक्षकों एवं सरकारी एवं अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों को सीधे शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना; वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करके तथा आपातकालीन योजनागत रणनीतियों के माध्यम से सुरक्षा की संस्कृति का निर्माण करना। यह अभियान स्थानीय शासन एवं नागरिक समाज संस्थाओं की भागीदारी में अपना कार्य करता है अतः यह कई स्तरों पर सुरक्षा की संस्कृति के निर्माण में व्यापक स्तर पर संस्थाओं को इस कार्य में जोड़ता है।
व्याप्त जोखिमगत घटकों को कम करना।	जोखिमगत घटकों की पहचान में सहायक बनने के अतिरिक्त, सुरक्षित पाठशाला अभियान उन घटकों में कमी लाने की दिशा में भी कार्य करता है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भवन निर्माण में ढाँचागत सुधार लागू किए जाते हैं। विपदा एवं दुर्घटना सूक्ष्म बीमा जैसी अभिनव योजनाओं का विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं उनके परिवारों के जोखिमों को कम करने में उपयोग किया जाता है।
सभी स्तरों पर प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु विपदा पूर्व तैयारी के कार्य में सुदृढ़ीकरण।	पाठशाला सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से पाठशाला में पूर्व तैयारीगत उपकरणों एवं रणनीतियों में वृद्धि होती है। समर्थित पाठशाला को अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार पेटी तथा आई.ई.सी. निदर्शन उपकरण प्रदान किए जाते है। मामलों का अध्ययन करने से यह प्रदर्शित हुआ है कि बच्चे अपने परिवारों को पूर्व तैयारीगत रणनीतियों के बारे में समझ देते है कि विपदा से पहले, विपदा के दौरान तथा विपदा के पश्चात् उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए।

वातावरण में परिवर्तन एवं पाठशाला सुरक्षा : क्या ये परस्पर संबंधित हैं?

वातावरण विषयक परिवर्तन निराकरण विषयक मुद्दें किसी भी विकास एवं विपदा जोखिम कम करने के कार्य के अंगरूप होने चाहिए।

चाहे हमारा मुकाम कोई हो, ज्ञान का स्तर भी कोई हो या सामाजिक-आर्थिक दर्जा भी कोई क्यों न हो वातावरण विषयक परिवर्तन से हम सभी प्रभावित होते है। लेकिन इसके प्रभाव का स्तर इसके घटकों की विभिन्नता पर निर्भर होता है तथा गरीब लोग एवं गरीब देश इससे सर्वाधिक रूप से बुरी तरह से प्रभावित होते है। अब इस संबंध में यह व्यापक रूप से अभिज्ञात तथ्य है कि वातावरण विषयक परिवर्तन का प्राकृतिक विपदाओं की तीव्रता एवं बारंबारिता में योगदान होता है तथा विकासशील देश इसके सर्वाधिक रूप से शिकार होते है। एक यू.एस.ए.आई.डी. अध्ययन में बताया गया है कि वर्ष १९९०-१९९८ के बीच विपदा के परिणामस्वरूप हुई ९७ प्रतिशत मौतें विकासशील देशों में हुई थीं।[६] इन देशों में उनकी जनसंख्या सर्वाधिक असुरक्षित स्थिति से प्रभावित जनसंख्या है तथा उसमें भी बच्चे सर्वाधिक असुरक्षित स्थितिवाले समूहों में शामिल है। विकासशील देशों में बच्चे वातावरण विषयक परिवर्तन के प्रभाव के परिणामस्वरूप सर्वाधिक असुरक्षित स्थिति में अवस्थित है।

भारत पहले से ही वातावरण विषयक परिवर्तन एवं प्राकृतिक विपदाओं के प्रभाव से ग्रस्त है। उदाहरण के लिए, बाढ़ पहले से अधिक प्रमाण में तथा अधिक तीव्रता के साथ प्रायः आती रहती है। बिहार में वर्ष २००७ की बाढ़ ने अत्यंत विनाशक स्थिति पैदा कर दी थी तथा इस तरह की विनाशक स्थिति भारत में पहले नहीं देखी गई थी तथा हाल ही के वर्षों में गुजरात एवं राजस्थान जैसे शुष्क राज्यों में अप्रत्याशित रूप में बाढ़ के कारण लोगों का जीवन लंबे समय तक जोखिमग्रस्त होते हुए देखा गया है।

बाढ़ के दौरान, असुरक्षित स्थितिवाले बच्चे मात्र इतना ही कष्ट नहीं उठाते कि उनके परिवारों का भोजन, आश्रय आवास एवं आजीविका छिन जाती है अपितु वे कॉलेरा, मलेरिया एवं दस्त लगने से भी शिकार हो जाते है तथा वे शिक्षा के साधन भी खो देते हैं तथा पश्च ट्रॉमेटिक सदमे जैसे मनोवैज्ञानिक सदमे का शिकार बन जाते हैं ऐसे बच्चों के विकास के आरंभिक वर्ष अत्यंत खराब बन जाते है तथा वे कुपोषण, बीमारी एवं मनोवैज्ञानिक सदमे के शिकार हो जाते हैं।

चेतना ही शक्ति है

वातावरण विषयक परिवर्तन एवं इसके परिणामों के संबंध में सामान्य जन-चेतना की स्थिति भारत में आज भी अत्यंत कम स्थिति में है। बाल-शिक्षा में इस विषय को शामिल करने की आज महत्तम आवश्यकता है; तथा विपदा प्रबंधन के संदर्भ में पाठशाला सुरक्षा अभियान के भाग के रूप में इस चेतना को फैलाने का कार्य अत्यंत प्रभावी रूप में किया जा सकता है।

पर्यावरण के प्रति सकारात्मक व्यवहार करने के अतिरिक्त वातावरण विषयक परिवर्तन के संदर्भ में विपदा जोखिम कम करने के संबंध में असुरक्षित स्थितिवाले बच्चों को शिक्षित करना आवश्यक है तथा उन्हें अपनी असुरक्षित स्थिति में कमी लाने के उपायों को अपनाकर उन्हें सक्षम बनाना भी आवश्यक है।

इसी कारण से, ए.आई.डी.एम.आई. के बाल अधिकार हेतु सुरक्षित पाठशाला अभियान में इसके प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में वातावरण विषयक परिवर्तन की शिक्षा को समाहित किया गया है। पाठशाला सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भाग के रूप में एक सत्र पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने तथा वातावरण विषयक परिवर्तन विषयक चेतना फैलाने के प्रति समाहित है। इस सत्र में वातावरण विषयक परिवर्तन के कारक तत्वों के निराकरण, इसके विभिन्न प्रभावों तथा वातावरण विषयक परिवर्तन के सैद्धांतिक समाधान एवं इसके प्रभावों को समाहित किया गया है।

बच्चे ही हमारे भविष्य हैं

वैश्विक वातावरण विषयक परिवर्तन विपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य बन गया है तथा विपदा जोखिम कम करने के सभी कार्यों में बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वे सर्वाधिक रूप से असुरक्षित स्थिति में होते है तथा वे हमारे भावी नेता भी उनकी शिक्षा हेतु निवेश करना तथा चेतना फैलाना उनकी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि उनका सुनहरा भविष्य बन सके। ■

६ वैश्विक विकास अहवाल २००७/२००१। विश्व बैंक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, २००१, पृष्ठ १७१।

सुरक्षित पाठशाला अभियान अंतर्गत 'पाठशाला सुरक्षा' साहित्य

Child's Right to Safer Schools: A National Campaign

पाठशाला की जरूरत और शिक्षकों की माँग को ध्यान में रखकर पाठशाला सुरक्षा के साथ संलग्न विभिन्न मुद्दों पर यह साहित्य शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। जिसका जल्दी ही अलग-अलग स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।

Topics covered in this 63rd Issue of *'Vipada Nivaran'* with focus on School-based Disaster Risk Reduction: Lessons for South Asia:

1. Safer School: The most medium for Message and Information
2. Need for School Safety Campaign: Why Schools?
3. School-based Disaster Risk Reduction on the National and Regional Agendas
4. Building Local Capacities: AIDMI's School Safety Trainings Programmes
5. Gender Equality must start Young
6. Reaching Families through their Children: Lessons from the Field
7. Student Safety Insurance: A Tragic Example of Success
8. Safer Schools Campaign and the Hyogo Framework
9. Climate Change and School Safety: Are they Connected?
10. School Safety Kit

आप नियमित रुप से 'विपदा निवारण' पाना चाहते है तो कृपया ऑल इन्डिया डिज़ास्टर मिटिगेशन इन्स्टिट्यूट को *पत्र* या *इ-मेइल* के जरिए बताएँ।

मुद्रक - श्रीजी प्रिन्टोरियम
१२, निरव शॉपिंग सॅन्टर
मणिनगर,
अहमदाबाद - ३८० ००८

PRINTED MATTER
Book-Post

प्रति श्री, _____

_____

(कृपया अंक न मिलने पर नीचे दर्शाये पते पर वापस भेजें।) _____

ऑल इन्डिया डिज़ास्टर मिटिगेशन इन्स्टिट्यूट
४११, साकार-पाँच, नटराज सिनेमा के पास, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद - ३८० ००९
फोन : ००९१-७९-२६५८ ६२३४ / २६५८ ३६०७, फेक्स : ००९१-७९-२६५८ २९६२
E-mail: bestteam@aidmi.org, Website: http://www.aidmi.org, www.southasiadisasters.net